न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 237/2016

1 चान्दली देवी पत्नी रामसहाय।
2 सुखचेन पुत्र रामसहाय।
3 रणवीर पुत्र रामसहाय।
4 दाताराम पुत्र रामसहाय।
5 हरिराम पुत्र रामसहाय।
6 सुमेर सिंह पुत्र रामसहाय।
7 कौशल्या पुत्री रामसहाय।
8 सरबती पुत्री रामसहाय।
9 विमला पुत्री रामसहाय समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी बनीयाला तन संजय नगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रूड़मल पुत्र देवीसहाय।
2 ख्यालीराम पुत्र देवीसहाय।
3 रघुनाथ पुत्र देवीसहाय।
4 कृष्ण पुत्र देवीसहाय।
5 सुगनी पुत्री देवीसहाय।
6 सन्तोष पत्नी लक्ष्मण।
7 अजीत सिंह पुत्र लक्ष्मण।
8 विजय सिंह पुत्र लक्ष्मण।
9 सुमित्रा पुत्री लक्ष्मण।
10 विमला पुत्री लक्ष्मण।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

11 महेन्द्र उर्फ मैना पुत्री लक्ष्मण।
12 कला पुत्री लक्ष्मण।
13 टीकु उर्फ रेणु पुत्री लक्ष्मण।
14 सुमन पुत्री लक्ष्मण समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी गुजराला तन रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
15 भूमि सेवा सहकारी समिति बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
16 उप पंजियक एवं तहसीलदार भू–अभिलेख खेतड़ी जिला झुंझुनू।
17 लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी कैम्प कोर्ट रामकुमारपुरा
प्रकरण संख्या 104/2015 शीर्षक रूड़मल वगैरह
बनाम चान्दली वगैरह दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड
दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 28-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 104/2015 में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 14 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में एक वाद संख्या 104/2015, बाबत घोषणात्मक,रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया कि ग्राम पपुरना की शरहद में खसरा नम्बर 1550 रकबा 3 बीघा 2 बिश्वा जिसके खातेदार रामसुख व लाडिया पुत्रान नन्दा थे सहवंश से उक्त भूमि अकेले रामसहाय उर्फ रामसुख पुत्र खेमा के नाम दर्ज हो गई। चूंकि रामसहाय उर्फ रामसुख नन्दा का बेटा था न कि खेमा का सहवन से रामसहाय के पिता का नाम खेमा दर्ज कर दिया। इस प्रकार विवादित भूमि के 1/2 भाग को वादी नम्बर 1 लगायत 5 के नाम व बाकी 1/2 भूमि वादी नम्बर 6 लगायत 14 के नाम दर्ज करदी जावें। चूंकि वाद दर्ज कर पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील में चल रही थी और पत्रावली दिनांक 12.05.2016 को वास्ते पेश करने वकालतनामा व जवाबदावा हेतु नियत थी, दिनांक 12.05. 2016 से आगामी पेशी 27.06.2016 वास्ते वकालतनामा व जवाब दावा पेश करने हेतु थी। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को दिनांक 02.06.2016 को बीच में लोक अदालत में रखकर कैम्प रामकुमारपुरा में अकेले वादीगण के अधिवक्ता को सुनकर वाद डिक्री कर दिया गया है, प्रतिवादीगण को लोक अदालत का कोई नोटिस भी नही दिया गया। इस कारण से उन्हे इस कैम्प का भी ज्ञान नहीं था, अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय को सुना जाकर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये वाद डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 27.06.2016 के लिए नियत की गई थी। विचारण न्यायालय ने इस तिथि से पूर्व ही अपीलांट को बिना नोटिस बिना सूचना, बिना तनकी बिना साक्ष्य एकपक्षीय रूप से पत्रावली दिनांक 02.06.2016 को कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया । विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक के प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचित किए बिना पत्रावली नियत तिथि से पूर्व कैम्प कोर्ट में रखकर तनकी, साक्ष्य, बहस की विधिक प्रकिया अपनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना),
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर